रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 394] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 16, 2005/भाद्र 25, 1927
No. 394] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 16, 2005/BHADRA 25, 1927

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2005

सं. 84/2005-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 590(अ).—जबकि, अभिहित प्राधिकारी ने, पौलेड, साऊदी अरब, रशिया, ईरान, संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपिय संघ से आयातित, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं० 2905 के अंतर्गत आने वाले औक्सो एल्कोहल पर अधिसूचना सं. 57/2004-सीमाशुल्क, तारीख 20 अप्रैल, 2004 [सा0का0नि0 274 (अ), तारीख 20 अप्रैल, 2004] द्वारा अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के जारी रहने के संबंध में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1, तारीख 6 दिसम्बर, 2004 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 15/9/2003-डोजीएडी द्वारा निर्णायक समीक्षा प्रारंभ की है तथा निर्णायक समीक्षा के परिणामों के लम्बित रहने तक, अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क की अवधि उचित समय सीमा तक बढानें का अनुरोध किया है

और जबकि अभिहित प्राधिकारी के उपरोक्त अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार सहमत होते हुए औक्सो एल्कोहल पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क की अवधि आगे एक वर्ष तक जारी रखने का निर्णय करती है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1), उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के साथ पठित एवं उपधारा (6), और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटन शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 23, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 80/2005-सीमाशुल्क, तारीख 5 सितम्बर, 2005 [सा0का0नि0 558 (अ), तारीख 5 सितम्बर, 2005] का अतिक्रमण करते हुए, अधिसूचना सं. 57/2004-सीमाशुल्क, तारीख 20 अप्रैल, 2004 [सा0का0नि0 274 (अ), तारीख 20 अप्रैल, 2004] में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातः-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 में, शब्द और अंक " अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के अधिरोपण की तारीख अर्थात 27 जनवरी, 2000 से पांच वर्षों के लिए, उद्ग्रहीत किया जायेगा और भारतीय करेंसी में संदत्त होगा" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जायेंगे, अर्थातः-

" अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क के अधिरोपण की तारोख अर्थात 27 जनवरी, 2000 से प्रभावी होकर तारीख 26 जनवरी, 2006 तक प्रभावी रहेगी, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और भारतीय करेंसी में संदत्त होगा।"

[फा. सं. 354/184/99-टीआरयू (भाग-III)]

अजय, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2005

No. 84/2005-CUSTOMS

G.S.R. 590(E).— Whereas, the designated authority vide notification number 15/9/2003-DGAD, published in Part I, Section I of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 6th December, 2004, has initiated sunset review in the matter of continuation of anti-dumping duty on Oxo Alcohols, falling under the heading 2905, of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in or exported from Poland, Saudi Arabia, Russia, Iran, United States of America and the European Union, imposed vide notification number 57/2004–Customs, dated the 20th April, 2004, G.S.R.274(E), dated 20th April 2004, and has requested for suitable extension of anti-dumping duty, pending the results of the review investigations;

And whereas the Central Government has agreed to the above request of the designated authority and decided to extend the anti-dumping duty presently in force on Oxo Alcohol, for a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9A, read with the second proviso to sub-section (5) and sub-section (6) of that section of the said Customs Tariff Act and rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number 80/2005-Customs, dated the 5th September, 2005, G.S.R. 558(E), dated the 5th September, 2005, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number 57/2004–Customs, dated the 20th April 2004, G.S.R.274(E), dated 20th April 2004, namely:-

In the said notification, in paragraph 2, for the words, and figures, "for a period of five years with effect from the date of imposition of provisional anti-dumping duty, i.e. the 27th day of January, 2000, and shall be paid in Indian currency", the following shall be substituted, namely: -

" with effect from the date of imposition of provisional anti-dumping duty, i.e. the 27th day of January, 2000, and shall be effective up to and inclusive of the 26th day of January, 2006, and shall be paid in Indian currency".

[F. No. 354/184/99-TRU (Pt.-III)]
AJAY, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.